

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – रेखा मीना (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या- 114/2021

1-छोटे पुत्र दुर्गे जाति कुशवाह निवासी ग्राम लुधपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.....वादी

बनाम

1-पप्पू 2-प्रेमसिंह 3-रामअवतार 4-शेरा पुत्रगण शिवचरन समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम लुधपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 5-गुड्डी पुत्री शिवचरन जाति कुशवाह निवासी ग्राम लुधपुरा 6-सीमा पुत्री शिवचरन जाति कुशवाह निवासी ग्राम लुधपुरा तहसील सैपऊ 7-गुड्डीदेवी पत्नी ज्ञानसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम लुधपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 8-चोबसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रसन्तपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुरप्रतिवादीगण

9-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत भू-स्वामी

10-पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ जरिये प्रबन्धक

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा
हस्व दफा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति - 1-श्री सज्जनबाबू तिवारी एडवोकेट(वादी)

निर्णय

दिनांक 26.07.2023

संक्षिप्त उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटवारा वर्णित विवादित आराजी खाता संख्या- 43 के खसरा नम्बर 426 रकवा 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 428 रकवा 0.2150 हैक्टेयर किता-2 कुल रकवा 0.5944 हैक्टेयर वाकेग्राम सालेपुर पटवार हल्का रजौराकलां, खाता संख्या 32 के खसरा नम्बर 182 रकवा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 331 रकवा 0.2276 हैक्टेयर कुल किता-2 कुल रकवा 0.4805 हैक्टेयर वाकेग्राम सालेपुर पटवार हल्का रजौरा कलां, खाता संख्या-31 के खसरा नम्बर 82 रकवा 1.2519 हैक्टेयर वाकेग्राम लुधपुरा पटवार हल्का रजौराकलां तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी एवं गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 13.10.2022 को दावा प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारों के रिकार्ड मे दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांक:राजस्व/2022/699 दिनांक 27.12.2022 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। विद्वान वादी अभिभाषक को एकपक्षीय सुना गया



उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

तथा विद्वान अभिभाषक द्वारा मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के बावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम लुधपुरा पटवार हल्का रजौराकलां तहसील सैपऊ के बाबत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है:-

1-छोटे पुत्र दुर्गे जाति काछी (कुशवाह) सा० देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1.	426 / 1	0.1897	चा०दो०

योग किता- 1 0.0759 चा०दो०

2-छोटे पुत्र दुर्गे जाति काछी (कुशवाह) सा० देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1	82 / 1	0.6259	नहरी प्रथम
2	182 / 1	0.1202	नहरी प्रथम
3	331	0.2276	नहरी दोयम / नहरी प्रथम

योग किता- 3 0.9737 -

3-गुड्डी पुत्री शिवचरन हिस्सा-1/6, पप्पू पुत्र शिवचरन हिस्सा-1/6, प्रेमसिंह पुत्र शिवचरन हिस्सा-1/6, रामअवतार पुत्र शिवचरन हिस्सा-1/6, शेरा पुत्र शिवचरन हिस्सा-1/6, सीमा पुत्री शिवचरन हिस्सा-1/6 जाति काछी (कुशवाह) सा० देह खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1.	426 / 2	0.1897	चा.दो.-0.0632, न.प्र.-0.1265
2.	428	0.2150	चा.सो.-0.1265, न.प्र.-0.0885

योग किता- 2 0.4047 -

4-गुड्डी पुत्री शिवचरन हि० 211/1327, प्रेमसिंह पुत्र शिवचरन हिस्सा 336/1327, पप्पू पुत्र शिवचरन हिस्स 195/1327, रामअवतार पुत्र शिवचरन हिस्सा 195/1327,

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

शेरा पुत्र शिवचरन हिस्सा 195/1327, सीमा पुत्री शिवचरन हिस्सा 195/1327 जाति काछी (कुशवाह) सा0 देह खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1.	182/2	0.1327	न.अ.

योग किता- 1 0.1327 -

5-गुडडी पत्नी ग्यानसिंह हिस्सा 1265/6260, पप्पू पुत्र शिवचरन हिस्सा 988/6260, रामअवतार पुत्र शिवचरन हिस्सा 988/6260, शेरा पुत्र शिवचरन हिस्सा 988/6260, सीमा पुत्री शिवचरन हिस्सा 988/6260 जाति काछी (कुशवाह) सा0 देह खातेदार, चोवसिंह पुत्र फतेहसिंह हिस्सा 1043/6260 जाति काछी (कुशवाह) सा0 रसन्तपुर खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1.	82/2	0.6260	नहरी प्रथम

योग किता- 1 0.6260 नहरी प्रथम

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।




उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सिपु
सिपु

डिक्री व मुकदमे ईवतदाई

सैपऊ अदालत -उपखण्ड अधिकारी सैपऊ,
व इजलास - रेखा मीना (आर० ए० एस०)
प्रकरण संख्या- 114 / 2021

1-छोटे पुत्र दुर्गे जाति कुशवाह निवासी ग्राम लुधपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.....वादी

बनाम

1-पप्पू 2-प्रेमसिंह 3-रामअवतार 4-शेरा पुत्रगण शिवचरन समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम लुधपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 5-गुड्डी पुत्री शिवचरन जाति कुशवाह निवासी ग्राम लुधपुरा 6-सीमा पुत्री शिवचरन जाति कुशवाह निवासी ग्राम लुधपुरा तहसील सैपऊ 7-गुड्डीदेवी पत्नी ज्ञानसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम लुधपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 8-चोबसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रसन्तपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.....प्रतिवादीगण

9-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत भू-स्वामी

10-पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ जरिये प्रबन्धक

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त एवं स्थाई

निषेधाज्ञा हस्व दफा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कर्तई रुबरू मुझ रेखा मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री सज्जनबाबू तिवारी एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री को पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम लुधपुरा पटवार हल्का रजौराकलां तहसील सैपऊ के बाबत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-छोटे पुत्र दुर्गे जाति काछी (कुशवाह) सा० देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1.	426 / 1	0.1897	चा०दो०

योग किता- 1 0.0759 चा०दो०

2-छोटे पुत्र दुर्गे जाति काछी (कुशवाह) सा० देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1	82 / 1	0.6259	नहरी प्रथम
2	182 / 1	0.1202	नहरी प्रथम
3	331	0.2276	नहरी दोयम / नहरी प्रथम

योग किता- 3 0.9737 -

रेखा मीना
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

गुड्डी पुत्री शिवचरन हिस्सा-1/6, पप्पू पुत्र शिवचरन हिस्सा-1/6, प्रेमसिंह पुत्र शिवचरन हिस्सा-1/6, रामअवतार पुत्र शिवचरन हिस्सा-1/6, शोरा पुत्र शिवचरन हिस्सा-1/6, सीमा पुत्री शिवचरन हिस्सा-1/6 जाति काछी (कुशवाह) सा0 देह खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1.	426 / 2	0.1897	चा.दो.-0.0632, न.प्र.-0.1265
2.	428	0.2150	चा.सौ.-0.1265, न.प्र.-0.0885

योग किता- 2 0.4047 -

4-गुड्डी पुत्री शिवचरन हि० 211/1327, प्रेमसिंह पुत्र शिवचरन हिस्सा 336/1327, पप्पू पुत्र शिवचरन हिस्सा 195/1327, रामअवतार पुत्र शिवचरन हिस्सा 195/1327, शोरा पुत्र शिवचरन हिस्सा 195/1327, सीमा पुत्री शिवचरन हिस्सा 195/1327 जाति काछी (कुशवाह) सा0 देह खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1.	182 / 2	0.1327	न.अ.

योग किता- 1 0.1327 -

5-गुड्डी पत्नी ग्यानसिंह हिस्सा 1265/6260, पप्पू पुत्र शिवचरन हिस्सा 988/6260, रामअवतार पुत्र शिवचरन हिस्सा 988/6260, शोरा पुत्र शिवचरन हिस्सा 988/6260, सीमा पुत्री शिवचरन हिस्सा 988/6260 जाति काछी (कुशवाह) सा0 देह खातेदार, चोवसिंह पुत्र फतेहसिंह हिस्सा 1043/6260 जाति काछी (कुशवाह) सा0 रसन्तपुर खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	किस्म
1.	82 / 2	0.6260	नहरी प्रथम

योग किता- 1 0.6260 नहरी प्रथम

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(रेखा मीना)
उपस्थान अधिकारी